झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक 33/NTCP/2013-210 (HSN) राँची, दिनांक 01.10.18

अधिसूचना

तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल, (FCTC) का वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गयी है, अतः भारत FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कृत संकलपित है।

FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थों से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की लोक स्वास्थ्य नीतियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है।

अतः लोक स्वास्थ्य के हित में, डब्ल्यू०एच०ओ० के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन किया जाता है जिसका स्वरूप निम्नांकित होगा :–

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड	अध्यक्ष
गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड	सदस्य सचिव
झारखण्ड सरकार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, झारखण्ड	संयोजक
राज्य परामर्शी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, झारखण्ड	सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तंबाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्नक अनुलग्नक – क में दिए दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो।

झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस विषय से संबंधित कोई भी मामला प्राप्त होते ही समिति के अध्यक्ष या सदस्य सचिव के संज्ञान में लाया जाए।

27/9/18

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,
झारखण्ड सरकार।

Cont...

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 210 (HSN) दिनांक 01.10.18

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राँची/महालेखाकार झारखण्ड, राँची/मुख्य आयकर आयुक्त, झारखण्ड राँची/आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद झारखण्ड राँची/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के झारखण्ड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक/उक्त प्रबंधक/भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय झारखण्ड राँची/रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया, आकशवाणी, राँची/दूरदर्शन राँची/मण्डल रेल प्रबंधक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,
झारखण्ड सरकार।

ज्ञापांक: 210 (HSN) दिनांक 01.10.18

प्रतिलिपि :–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे एवं अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

27/9/18

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,
झारखण्ड सरकार।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक 'क'

तम्बाकू नियन्त्रण पर डब्लू0 एच0 ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्सन के अनुच्छेद 5.3 के क्रियान्वयन और तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु गठित प्राधिकृत समिति के लिए

दिशा निर्देश

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक संघर्ष रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जन हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह, राज्य सरकार के तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा निर्देश का रहना हमारे राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा निर्देश

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग और/अथवा उसके प्रतिनिधियों के साथ बैठक को सीमित करेगें।
2. बैठक तभी होगी जब लोक हित में आवश्यक हो।
3. समिति अपनी सभी बैठकों में लोक स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देकर लोक कल्याण को ध्यान में रखेगी

बैठक करने की प्रक्रिया

1. यदि तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक से मिलना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग से किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जाना है।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्टः करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपरान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि से मिला जाय अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को वे अन्तिम स्वरूप देगें।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सविच को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेनेवाले अपने प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देगें।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्दोग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्पारिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में उपयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्दोग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्पारिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र पूर्व प्रधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होनी चाहिए।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।
- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडियो रेकार्डिंग भी कराई जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गए किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाय।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

Scanned by CamScanner